२०

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 120/2012

दायर दिनांक–04–06–2012

1 श्रीमति तीजु पत्नी स्व0 श्री हरीशचन्द पुत्री श्री भींवाराम उम्र 62 वर्ष , जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ हाल आबाद बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज.)
2 मूलचन्द उम्र 40 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री मनसुख पौत्र श्री भीवाराम जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
3 श्रीमति चावली देवी पत्नी स्व0 श्री मनसुख जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

– वादीगण

बनाम

1. शिशपाल उम्र 57 वर्ष, जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. महावीर उम्र 50 वर्ष, जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
3. चन्द्री देवी पत्नी श्री नोपाराम पुत्री श्री भींवाराम उम्र 59 वर्ष निवासी कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ हाल आबाद जोगियों का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज.)
4. कमला देवी पत्नी श्री दानाराम पुत्री श्री भींवाराम उम्र 59 वर्ष निवासी कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ हाल आबाद ओला की ढाणी तन् बेरी तहसील व जिला सीकर (राज.)
5. उपपंजियन तहसील नवलगढ़ व लैण्डछहोल्डर तहसीलदार नवलगढ़
6. जिला कलेक्टर जिला झुन्झुनूं (राज.)
7. मनीराम पुत्र पोकरमलज जाति जाट निवासी बेरी तहसील व जिला सीकर (राज.)
8. विजेन्द्र पुत्र श्री पोकरमल जाति जाट निवासी बेरी तहसील व जिला सीकर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री विधाधर सिंह जाखड़
वकील प्रति. नं. :– श्री सुभाष चन्द्र आर्य

दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 23/05/2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम कैमरी की ढाणी तन खिरोड़ में भूमि पुराने खसरा नं0 430 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा खसरा नं0 445 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा स्थित है, जिसके नये खसरा नं0 244 रकबा 1.0400 हैक्टर, खसरा नं0 247 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नं0 248 रकबा 1.7600 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.8400 हैक्टर स्थित है, उक्त भुमि पैत्रिक भूमि है, भीवाराम के नाम की जमाबन्दी 'ए' मार्क की व नये खसरा नं0 व चालु खाते की जमाबन्दी 'बी' मार्क की पेश है, मिलान क्षैत्रफल सी. व डी. मार्क के है, जिसे आगे वाद में वादग्रस्त भुमि [illegible] संबोधित किया गया है।

वाद–पत्र की धारा 01 में दर्ज वंशावली अनुसार शिशपाल [illegible] वादी नं0 1 के एक पुत्र है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, पागल है प्रतिवादी [illegible] सामने की शक्ति नहीं है, अर्ध विक्षित है, जिसको महावीर ने अपने चुंगल में ले रख है, और उसके [illegible] दर्ज हिस्से की भूमि [illegible] हिस्से की भूमि का विक्रय–पत्र तस्दीक करवाकर उसके रूपये हड़पना चाहता है। पहले भी प्रतिवादी [illegible] अपने हिस्से की भूमि गिरवी रखकर लोन ले लिया था, वह चुकाया नहीं तो भूमि कुर्क होने लगी तो वादी नं0 2 के पिता ने उक्त रकम चुकाया थी, जिसके अंकन की जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 की 'ई' मार्क की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:04 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

(59)

प्रतिवादीगण के कोई उतराधिकारी नहीं है, वादी नं0 2 ही उनको परवरीश का सामान देता आया है। वादी नं0 1 प्रतिवादी नं0 3 व 4 के भी सामाजिक दायित्व का निर्वाह वादी नं0 2 ही करता आया है, व करेगा, पहले वादी का पिता करता था, और अब वादी नं0 2 करता है, लेकिन प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम गलत रूप से 2/3 हिस्सा खातेदारी भूमि में दर्ज होने से उनके मन में बेईमानी आ गयी, और बिना विधिवत विभाजन करवाये अपने हिस्से से ज्यादा रकबा विक्रय करके वादी नं0 2 परेशानी व दुविध में डालना चाहते है। वादीनी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 3 व 4 को उनके हक हिस्से से महरूम करना चाहते है, जिसका उन्हें कोई हक–अधिकार नहीं है, इस कारण वादीगण अपने हक–अधिकार के लिये वाद पेश किया गया है।

वादग्रस्त भूमि पैत्रिक भूमि है, जो भींवाराम की थी, भींवाराम का स्वर्गवास आज से 22–23 साल पूर्व हो गया, जब भींवाराम फौत हुआ तब उसके कुल छः उत्तराधिकारी थे, जो वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 4 थे, लेकिन प्रतिवादी नं0 1 ने पटवारी हल्का से साठ–गाठ करके भींवाराम की भूमि का इन्तकाल नं0 13 उसके तीन पुत्रों मनसुख, शिशपाल व महावीर कि ही नाम दर्ज करवा लिया। भींवाराम के तीन वैधानिक उत्तराधिकारी वादीनी तीजु प्रतिवादी नं0 3 व 4 चन्द्री व कमला के नाम इन्तकाल तस्दीक नहीं किया जो विधि–कानून विरूद्ध है, इन्तकाल नं0 13 के अंकन की जमाबन्दी सम्वत् 2047 से 2050 की 'एफ' मार्क की पेश है। इन्तकाल से किसी के इक –अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है, इस गलत इन्तकाल के आधार पर आगे का राजस्व रिकॉर्ड बनता गया। इस गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम उनके हिस्से से ज्यादा दुगुना हिस्सा भूमि का दर्ज हो गया और वह ज्यादा हिस्सा नाजायज रूप से विक्रय करके वादीनी व प्रतिवादीगण नं0 3 व 4 को उनके हक हिस्से से महरूम करना चाहता है, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है, अगर प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 अपनी नाजायज मंशा में सफल हो गये तो वादीगण को इतना नुकशान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नहीं होगी। वादीगण को केश, मुकदमों में फंसना पड़ेगा, जिससे समय व धन की बर्बादी होगी। वादीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला है, सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में है, इसलिये प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यकक व न्यायोचित है। वादीगण नं0 2 व 3 का पूर्वज फौत हो गया, उसके उत्तराधिकारी का इन्तकाल नं0 301 वादीगण 2 व 3 के नाम तस्दीक हुआ है, जिसके नाम के अंकन की जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 की 'जी' मार्क की पेश है।

प्रतिवादीण नं0 7, 8 व 9 प्रतिवादी नं0 1 को अपने विश्वास में लेकर उसकी भूमि क्रय का इकरारनामा किया है, प्रतिवादी नं0 2 महावीर के सोचने समझने की शक्ति नहीं है, इस कारण उसके हिस्से की भूमि को भी विक्रय–पत्र तस्दीक करवाकर सारे रूपये प्रतिवादी नं0 1 हड़पना चाहता है। वादी नं0 2 ने उसकी भूमि कुर्की से छुड़ाई वह रूपये भी हड़पना चाहता है, और अपने हक भूमि कुर्की से छुड़ाई वह रूपये भी हड़पना चाहता है, और अपने हक से ज्यादा रकबा विक्रय करने पर तुला हुआ है। प्रतिवादीगण नं0 7 लगयात 9 सब जानते हुए उक्त भूमि के क्रय का इकरार करके ताकत के बल पर शामलाती खतेदारी की भूमि में घुसना चाहते है, जिसका उन्हें कोई हक नहीं है। प्रतिवादीगण नं0 7 लगयात 9 अजनबी है, उनको वादग्रस्त भूमि में घुसने का कोई वैधानिक व कानूनी हक नहीं है। इस कारण प्रतिवादीगण नं0 7 लगायत 9 को पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है, कि वादीगण की पैत्रिक सम्पति के उपयोग–उपभोग, काश्त् करने में किसी भी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय पैदा करें, ना ही अपने आदमियों से करवावें।

वादीनी नं0 1 को शान्ती से अपना हिस्सा आज तक मिलता रहा है, व प्रतिवादीगण नं0 3 व 4 को भी मिलता रहा है। अपना हिस्सा काश्त् व लाटती [illegible] कोई व्यवधान किसी ने कभी पैदा नहीं किया है, एक ही परिवार व भाईयों का आपसी मामला है, आप[illegible] रहा है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। वादीनी नं0 1 [illegible] इस कारण कानूनी व रिकॉर्ड का ज्ञान भी नहीं है, अब प्रतिवादी नं0 1 [illegible] विभाजन करवाये भूमि विक्रय करना चाहता है, जिसकी धमकी दिनांक 31.05.2012 को दी तो वादीनी [illegible]कले प्राप्त की और पूरी जानकारी होने पर उक्त वाद तुरन्त ही श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी नं0 5 उपपंजियक है, जहो सरकार कर्मचारी है, जिसके यहा विक्रय–पत्र वादग्रस्त भूमि का तस्दीक करवाना चाहते है। प्रतिवादी नं0 6 राज्य सरकार का प्रतिनिधी है, जो आवश्यक पक्षकार है, उनके विरूद्ध

ए. सी. ई. एम. (का. दे.)
नवलगढ

वाद पेश करने से पहले दो माह का नोटिस् दिया जाना आवश्यक है, अगर उनको दो माह का नोटिस् देकर वाद पेश किया गया तो विक्रय–पत्र प्रतिवादीगण तस्दीक करवा देंगे तो वादी का वाद पेश करना ही बेकार हो जावेगा। मुकदमेंबाजी में फंसना पड़ेगा, वाद अति अर्जेन्ट नेचर का है, इस कारण दो माह का नोटिस् दिये बिना वाद पेश किया जा रहा है,

वादीगण ने अपने वाद–पत्र मे अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि :–

(क) वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद–पत्र की धारा 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि का वादीगण को 2/6 हिस्से का प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 4 को 4/5 हिस्से का कबिज खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाकर इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड बनाने के लिये तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिया जावे।

(ख) प्रतिवादी नं0 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादग्रस्त भूमि किसी के भी पक्ष में किसी भी प्रकार का ट्रांस्फर डीड तस्दीक नहीं करवायें, प्रतिवादी नं0 5 को पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि को किसी भी तरह का ट्रांस्फर डीड किसी के भी पक्ष में तस्दीक नहीं करें, प्रतिवादीगण नं0 7 लगायत 9 को पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि में नही घुंसे, वादीगण के कब्जे, काश्त् में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें, मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

(ग) प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 वाद के दौरान या बाला–बाला गलत रिकॉर्ड के आधार पर प्रतिवादीगण नं0 7 लगायत 9 के पक्ष में या अन्य किसी के पक्ष में किसी भी प्रकार का ट्रांस्फर डीड बना दिया या बना दे तो वादीनी न0 1 हक–अधिकारों पर एबीनिसियो बोईड होने के कारण प्रभावहीन घोषित किया जाकर निरस्त किया जावें।

(घ) अन्य कोई सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो, तथा वादी के हक में पड़ती हो, वादी को दिलवाई जावे। खर्चा–मुकदमा दिलवाया जावे।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 की ओर से वकील श्री सुभाष चन्द्र आर्य ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 5 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 प्रफोर्मा पक्षकार है जिनका कोई हित प्रभावित नही होने से इनकी तलबी की आवश्यकता नही है।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा पेश किया कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज आराजी नये खसरा नम्बर 244 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 248 रकबा 1.76 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.84 हैक्टर ग्राम कैमरी की ढ़ाणी तन् खिरोड़ में स्थित होना स्वीकार है, तथा वंशावली इस मामले में अप्रसांगिक है।

वाद पत्र की मद संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है, जबावदेहन्दा शीशपाल के एक पत्र होना स्वीकार है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ न होना भी स्वीकार है, परन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 के पुत्र का मानसिक रूप से स्वस्थ होने व न होने का इस वाद में कोई सम्बन्ध नहीं है तथा वादीगण का यह कथन कतई स्वीकार नहीं है, कि जबावदेहन्दा महावीर अर्धविक्षिप्त है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता है, बल्कि जबावदेहन्ता महावीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तथा हर अच्छी बुरी सोचने समझने की शक्ति रखता है। प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा पूर्व में अपने हिस्से की भूमि को गिरवी रखकर लोन लिया जाना स्वीकार है, परन्तु यह कतई स्वीकार नहीं है, कि जबावदेहन्ता ने ऋण नहीं चुकाया तो भूमि कुर्क ... वादी नम्बर 2 के पिता ने ऋण चुकाया है। बल्कि जबावदेहन्ता ने अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लिया ... स्वयं ने ही चुकाया था। जबावदेहन्ता प्रतिवादी नम्बर 1 सार्वजनिक निर्माण विभाग में नौकरी करता ... वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में व अपनी व अपने परिवार परवरीश करने में सक्षम है वादी नम्बर 2 ने जबावदेहन्दा की परवरीश करने की तथ्य कतई गलत दर्ज किया है, वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 जो जबावदेहन्दा की बहिने है जिसके समस्त सामाजिक कर्तव्यो का निर्वहन जैसे भात, छुछक आदि जबावदेहन्दा ही करते है तथा वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 को जबावदेहन्दा समय – समय पर बुलाते है तथा उन्हे अपने हैसियत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:04 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. जे. एम. (का. है.)
नवलगढ़

अनुसार कपड़े गहने आदि देते रहते है। वादीगण का यह कथनप कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम से गलत रूप से 2/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज होने से उसके मन में बेईमानी आ गयी है और बिना विधिवत विभाजन करवाये अपने हिस्से से ज्यादा रकबा विक्रय करे वादी नम्बर 2 को परेशानी व दुविधा में डालना चाहते है गलत होने से अस्वीकार है। जबावदेहन्दा व प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम 2/3 हिस्से की भूमि की खातेदारी दर्ज जो सहीं दर्ज है। तथा जबावदेहन्दा व प्रतिवादी नम्बर 2 को अपने नाम दर्ज 2/3 हिस्से की भूमि के उपयोग –उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। यदि जबावदेहन्दा व प्रतिवादी नम्बर 2 अपने नाम दर्ज 2/3 हिस्से की भूमि का विक्रय करते है तो वादी नम्बर 2 को कोई भी परेशानी नहीं होती है वादी नम्बर 2 व 3 का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा है जिसकी खातेदारी वादी नम्बर 2 व3 के नाम से दर्ज है वह सही दर्ज है। वादी नम्बर 2 व 3 ने वादी नम्बर 1 को अपने बहकावे मे लेकर जबावदेहन्दा के हक व हिस्से की भूमि पर हड़पने के लिए उक्त झूंठा दावा पेश किया है।

जबकि सही तथ्य इस प्रकार है कि भीवाराम करीब 22 –23 वर्ष पूर्व फौत हुआ था, वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 की शादी भीवाराम ने अपने जीवनकाल में ही कर दी थी और तब से लेकर आज तक वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी 3 व 4 अपने ससुराल में ही निवास करती है तथा अपने पति के हिस्से की भूमि को कास्त करती है इस प्रकार भींवाराम की सम्पति पर वादी नम्बर 2 के पिता मनसुख व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का ही कब्जा काश्त था। वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 का भींवाराम की सम्पति पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। जब भींवाराम फौत हुआ तो विरासत का इन्तकाल नम्बर 13 वादी नम्बर 2 के पिता व वादी नम्बर 3 के पति मनसुखराम व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम से भरा गया है, जो मजमे आम सही भरा गया है। जिसकी जानकारी वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 को हमेशा से रही है परन्तु वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 ने कभी भी उक्त नामान्तकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय में चेंलेज नही किया है क्योंकि वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 अपने ससुराल में रहती थी, और अपने पति के हिस्से की भूमि को कास्त करती थी, उक्त वादग्रस्त आराजी में कभी भी वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है वादग्रस्त आराजी में वादी नम्बर 2 व 3 का 1/3 हिस्सा है तथा 2/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 जबावदेहन्दा का है तथा इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त रहा है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। जो सहीं दर्ज हुआ है। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 के परिवार की प्रथा व रितिरिवाज भी यह रहा है, कि पुत्री की शादी में उसे दान दहेज देकर पिता के घर से विदा कर दिया जाता है और वह अपने ससुराल में अपने पति के घर में निवास करने लग जाती है तथा अपने पति के हिस्से की भूमि को ही काश्त करती है। पुत्री के पिता व भाईयो द्वारा समय – समय पर भात, छुछक आदि भरे होते है जिनमें भाई बहिन को गहने, कपड़े व नकदी आदि देते रहेते है। विवाहित पुत्रियों का पिता की सम्पति में कोई हक व हिस्सा नहीं होता है। जिससे परिवार में भाई – बहिन का अच्छा सम्बन्ध बना रहता है इस प्रकार उक्त वाद में भी वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 के पिता स्वर्गीय भींवाराम का स्वर्गवास करीब 22 – 23 वर्ष पूर्व हो गया था जिस समय वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 विवाहित थी और अपने ससुराल में रहती थी तथा शान्तिपूर्वक अपने पति के हिस्से की भूमि को काश्त करती थी वादी नम्बर 1 व प्रतिवादीह नम्बर 3 व 4 का कभी भी वादग्रस्त आराजी के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजी को वादी नम्बर 2 का पिता व वादी नम्बर 3 का पति मनसुखराम व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 बराबर – बराबर काश्त करते है जिनके नाम से ही विरासत का नामान्तकरण संख्या 13 भरा गया है जो मजमे आम सभी की जानकारी में भरा गया है जिसकी वादी नम्बर 1 [illegible] नम्बर 3 व 4 को हमेशा से जानकारी रही है। इसके बावजुद भी वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी [illegible] नामान्तकरण को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। अब वादी नम्बर 1 करीब 62 – [illegible] वर्ष की हो गई है जिसे वादी नम्बर 2 व 3 ने बहकावें में लेकर व झुठा लालच देकर उक्त वाद पेश किया है जो खारिज होने काबिल है।

वाद पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज तथ्य वादग्रस्त आराजी पैत्रिक होना व भींवाराम की सम्पति होना स्वीकार है, तथा भींवाराम की मृत्यु भी 22 – 23 वर्ष पूर्व होना स्वीकार है, जब भींवाराम फौत हुआ तो उसके छः उत्तराधिकारी वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 होना यह कतई स्वीकार नहीं है कि प्रतिवादी नम्बर 1 ने

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:04 IST
Reason: SelfAttested

हल्का पटवारी से साठ गांठ करके भींवाराम की भूमि का इन्तकाल नम्बर 13 उसके तीनों पुत्रों मनसुख, शिशपाल व महावीर के नाम गलत दर्ज करवा लिया। बल्कि सही तथ्य यह कि भींवाराम की मृत्यु हुई तब वादी नम्बर 1 तीजु व प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 का विवाह हो चुका था वह अपने ससुराल में ही रहती थी, वादग्रस्त आराजी पर वादी नम्बर 2 के पिता मनसुख व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का ही मौके पर भौतिक रूप से कब्जा काश्त था जो आज तक भी वादग्रस्त आराजी को बराबर – बराबर 1/3 – 1/3 हिस्सें को काश्त करते है, वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं था इसलिए उक्त नामान्तकरण संख्या 13 जो भींवाराम के फौत होने पर तस्दीक हुआ है, वह मजमे आम भरा गया है, जो सही भरा गया है जिसकी वादीगण को हमेशा से जानकारी थी। परन्तु वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 ने कभी भी उक्त नामान्तकरण संख्या 13 को चुनौती नहीं दी है। अब वादी नम्बर 2 व 3 ने वादी नम्बर 1 से मिलकर उक्त झुठा वाद पेश किया है, जो बिल्कुल आधारहीन है, जब वादी नम्बर 1 का वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं है तथा जबावदेहन्दा अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करते है, तो वादीगण को नुकसान होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, वादीगण का किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला नही है, औश्र ना ही सुविधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष में पड़ता है, जबावदेहान्द वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, तथा वादग्रस्त आराजी जबानी तकासमा करके काश्त करत है। इसलिए जबावदेहन्दा को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जाना न्यायोचित नहीं होगा। वादीगण ने गलत तथ्यो के आधार पर जबावदेहन्दा के हिस्से की भूमि हड़पने के लिए व जबावदेहन्दा को हैरान व परेशान करने के लिए उक्त झुठा वाद पेश किया है जो खारिज होने लायक है।

वाद पत्र की मद संख्या 4 एकदम से गलत व निराधार दर्ज होने से अस्वीकार है, प्रतिवादी नम्बर 7 लगायत 9 से प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा इकरारनामा किया जाना जाहिर किया है, जबकि दावे में प्रतिवादी नम्बर 9 कोई पक्षकार ही नही है, तथा प्रतिवादी नम्बर 7 व 8 से भी जबावदेहन्दा ने कोई इकरारनामा नही किया है। प्रतिवादी नम्बर 7 व 8 को गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है। जबावदेहन्दा को अपने हिस्से की आराजी को उपयोग – उपयोग करने का पूर्व अधिकार है, जिससे जबावदेहान्द को किसी भी प्रकार से वचिंत नहीं किया जा सकता है।

वाद पत्र की मद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 ने कभी भी वादग्रस्त आराजी को व उसके किसी हिस्से को काश्त नहीं किया है, और न ही कभी वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 को कोई हिस्सा मिला है, वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 का विवाह भींवाराम के जीवनकाल में ही हो चुका था तब से लेकर वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 अपने ससुराल में ही निवास करती है तथा अपने पति के हिस्से की भूमि को काश्त करती है उक्त वादग्रस्त आराजी को अपने जीवनकाल में भींवाराम स्वयं काश्त करता था भींवाराम के फौत होने के पश्चात से करीब 22–23 वर्ष से वादी नम्बर 2 व 3 प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 काश्त करते है तथा राजस्व रिकॉर्ड भी जबावदेहान्द व प्रतिवादी नम्बर 2 व वादी नम्बर 2 के पिता मनसुखराम के नाम से दर्ज हुआ जो सही दर्ज हुआ उक्त राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी वादी नम्बर 1 प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 को हमेशा से ही रही है परन्तु अब वादी नम्बर 2 व 3 ने वादी नम्बर 1 को बहकावे में लेकर जबावदेहन्दा के हिस्से की भूमि को हड़पने के लिए उक्त झूठा वाद पेश करवाया है। जो खारिज होने लायक है।

यह कि वाद पत्र की मद संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। वादी ने प्रतिवादी नम्बर 5 व 6 उपपंजियक को पक्षकार बनाया है, जिसके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 का 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। परन्तु वादीगण द्वारा न तो ऐसे पक्षकार को 2 माह का नोटिस दिया गया है, तथा ना ही वाद पत्र में ऐसी कोई एर्जेन्सी दर्ज की गई है अतः उक्त वाद खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:04 IST
Reason: Self Attested

तद्पश्चात प्रकरण में वकील पक्षकार ने आदेशिका लिखित सहमति इस प्रकार प्रस्तुत की है कि वादीगण को हिस्सा 2/5 व प्रतिवादी नम्बर 1, 3 व 4 को हिस्सा 3/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है। सहमति अनुसार वाद वादी डिक्री किया जावे। सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन स्पष्ट होता है। वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कैमरी की ढाणी तन खिरोड के पुराने खसरा नम्बर 431 रकबा 7 बीघा 2 बिश्वा, खसरा नम्बर 445 रकबा 4 बीधा 7 बिस्वा, जिसके नये खसरा नम्बर 244 रकबा 1.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.0400 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 248 रकबा 1.76 हैक्टर बने है। उक्त भूमि भींवाराम के दर्ज खातेदारी की रही है। भींवाराम फौत हो चुका है। वाद–पत्र के पैरा नम्बर 01 में दर्ज वंशावली अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 भींवाराम के विधिक वारीस है जो इनके उतराधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर 02 महाबीर नाऔलाद फौत हो गया। इस प्रकार भींवाराम के फौत होने पर इनके वारिसा वादीगण संख्या 01 को हिस्सा 1/5 तथा वादी संख्या 2 व 03 को हिस्सा 1/5 व प्रतिवादी संख्या 01, 03 व 04 को हिस्सा प्रत्येक को 1/5–1/5 का खातेदार घोषित किया जाना उचित है। इसी अनुसार वकील पक्षकारान द्वारा वाद वादी स्वीकार करने की सहमति प्रदान की गई है। फलस्वरूप सहमति के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं सहमति के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कैमरी की ढाणी तन खिरोड स्थित खसरा नम्बर 244 रकबा 1.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.0400 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 248 रकबा 1.76 हैक्टर में वादी संख्या 01 को 1/5 हिस्से का, वादीगण संख्या 2 व 03 को 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **23.05.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:04 IST
Reason: SelfAttested

34

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 120/2012 **(तिजू देवी आदि बनाम शीशपाल आदि)**

डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 23.05.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम कैमरी की ढाणी तन खिरोड स्थित खसरा नम्बर 244 रकबा 1.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.0400 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 248 रकबा 1.76 हैक्टर में वादी संख्या 01 को 1/5 हिस्से का, वादीगण संख्या 2 व 03 को 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 23.05.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
ए.सी.ई.(फा.ट्रे.) नवलगढ
ए.सी.ई. (फा. ट्रे.) नवलगढ

मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	14.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:04 IST
Reason: SelfAttested